	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 2, सोमवार, शाके 1944-मई 23, 2022 *Jyaistha 2, Monday , Saka 1944- May 23, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 25, 2022

संख्या प.एफ.न. 3(3)वन/2022 :- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 36 क की शक्तियों को प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात जालोर जिले की चितलवाना तहसील के रणखार ग्राम की 7288.61 हेक्टर वन भूमि एवं राजस्व भूमि जिसका विवरण नीचे दी गई अनुसूची-I एवं सीमाओं का विवरण अनुसूची-II के अनुसार है, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पति भू-संरचना सम्बन्धित, नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए संरक्षण आरक्षित (conservation reserve) घोषित करती है, जिसे भविष्य में रणखार संरक्षण आरक्षित के नाम से जाना जावेगा, जो उक्त अधिनियम एवं तद्धीन बनाए गए नियमों या समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा।

अनुसूची – I

क्र. स.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	खाता नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	भूमि का वर्गीकरण	भूमि का प्रकार
1	जालोर	चितलवाना	रणखार	1	1	134.53	गैर मुमकिन	राजस्व भूमि
2	जालोर	चितलवाना	रणखार	3	1	11.26	गैर मुमकिन	राजस्व भूमि
3	जालोर	चितलवाना	रणखार	4	1	915.31	गैर मुमकिन	राजस्व भूमि
4	जालोर	चितलवाना	रणखार	2	2	4076.15	गैर मुमकिन	अवर्गीकृत वन भूमि
5	जालोर	चितलवाना	रणखार	5	2	2151.36	गैर मुमकिन	अवर्गीकृत वन भूमि
					योग	**7288.61**		

अनुसूची – II

उत्तरी सीमा:	ग्राम रणखार की उत्तरी सीमा
पूर्वी सीमा:	ग्राम रणखार की पूर्वी सीमा
दक्षिणी सीमा:	ग्राम रणखार की दक्षिणी सीमा
पश्चिमी सीमा:	ग्राम रणखार की पश्चिमी सीमा

राज्यपाल की आज्ञा से,

बी.प्रवीण,

शासन सचिव।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 25, 2022

संख्या प.एफ.न. 3(3)वन/2022 :-वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36 ख की उप-धारा (1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये रणखार संरक्षण आरक्षिति के संरक्षण, प्रबन्धन एवं उसके रख-रखाव के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को परामर्श देने के लिए निम्न सदस्यों की एक संरक्षण आरक्षिति प्रबंध समिति का गठन किया जाता हैः-

1. सरपंच, ग्राम पंचायत खेजडियाली।
2. कृषि अधिकारी, चितलवाना या इसका प्रतिनिधि।
3. पशु चिकित्सा अधिकारी, चितलवाना या इसका प्रतिनिधि।
4. गैर सरकारी संगठन मारवाड जागृति संस्थान सांचौर।
5. गैर सरकारी संगठन सत्यपूर वेलफेयर फाउण्डेशन सांचौर।
6. गैर सरकारी संगठन सालासर हनुमान ट्रांसपोर्ट इनोवेटीव सहकारी समिती सांचौर।
7. क्षैत्रीय वन अधिकारी, रानीवाडा - सदस्य सचिव

सदस्य सचिव द्वारा उक्त समिति के लिये आयोजित बैठक में उप वन संरक्षक एवं संबंधित सहायक वन संरक्षक को आमंत्रित किया जावेगा।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36ख की उप-धारा (3) के अनुसार उक्त समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया जिसमें गणपूर्ति भी हो का विनियमित करेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

बी.प्रवीण,

शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।